Regional Office
U.P. Pollution Control Board
Meerut

पत्रांक– 1597/NGT-681/2019 दिनांक– 5/10/19

To ,
The Registrar.
National Green Tribunal
Principal Bench, New Delhi

Subject :- Factual and Action Taken Report in compliance of order dated 30.08.2019 passed by NGT in OA No.681/2019 titled as Pankaj Sharma Vs State of U.P. and others .

In above noted case Hon'ble National Green Tribunal has directed the UP Pollution Control Board to look into the matter and take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and Action Taken Report in the matter with in one months by email at judicial-ngt@gov.in. Pursuant to the said direction the factual and action taken report is being submitted along with relevant documents to this Hon'ble Tribunal for kind perusal .

With regards.
Enclosure: A Factual and Action Taken Report.

Your Faithfully

(R.K.Tyagi)
Regional Officer
UP Pollution Control Board
Meerut

Scanned by CamScanner

Compliance Report In Hon'ble NGT order dated 30/08/2019 in OA no 681/2019 Pankaj Sharma Vs State of U.P. and others :

Hon'ble NGT has passed the following order in aforesaid O.A. on dated 30.08.2019.

" Let The State Pollution Control Board (SPCB) look into the matter, take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report in the matter with in one month by email at judicial-ngt@gov.in ".

In compliance of order dated 30.08.2019 following units were inspected on dated 18.09.2019 by the officer of UPPCB Meerut.

1- M/s Dev Priya Industries Pvt. Ltd. Unit 1.Saini Mawana Road Meerut.
2- M/s Dev Priya Industries Pvt. Ltd. Unit 2.Saini Mawana Road Meerut.
3- M/s Dev Priya Products Pvt. Ltd. Saini Mawana Road Meerut.
4- M/s Dev Priya Papers Pvt. Ltd. Saini Mawana Road Meerut.

Units mentioned at Serial no.1 & 2 are zero liquid discharge units. Units have installed Sedi cell, Holding Tanks and Poly Disc filters in effluent treatment plant. Units are reusing their treated effluent in the process. A web camera has been installed in the ETP are linked with server of UPPCB and CPCB. There is no any discharge point of effluent in the units. At the time of inspection units were found complying ZLD norms.

M/S Devpriya Products Pvt. Ltd is producing 500 TPD Kraft paper by using waste paper. Unit has installed Sedi cell, Primary Clarifier, Aeration tank, Secondary Clarifier and Tertiary treatment (Dual Media filter) in the ETP. One PTZ web camera and online effluent monitoring system linked with the server of UPPCB and CPCB has been installed at the outlet of the ETP. At the time of inspection all the units of ETP were found operational.

M/S Devpriya Papers Pvt. Ltd is producing 180 TPD Kraft paper by using waste paper. Unit has installed Sedi cell, Primary Clarifier, Aeration tank, Secondary Clarifier and Tertiary treatment (Pressure Bag Filter) in the ETP. One PTZ web camera and online effluent monitoring system linked with the server of UPPCB and CPCB has been installed at the outlet of the ETP. At the time of inspection all the units of ETP were found operational.

All these units are having valid consent and were found complying norms at the time of inspection.

AEE

Scanned by CamScanner

In compliance of order dated 29.11.2018 in OA No.257/2018 issued by Hon'ble NGT the Central Pollution Control Board Vide letter No. B-190194/WQM-II/CPCB/ Kumbh Mela Dated 16.11.2018has issued directions to UPPCB under section 18(1)(b) of the Water (Prevention and Control Of Pollution) Act 1974 to take following corrective measures and further direct concerned authorities / Industries for ensuring pollution free conditions in River Ganga at Allahabad during Kumbh Mela :
1-There will no discharge of effluent in River Ganga and its tributaries from grossly Polluting units(Distillery, Sugar, Pulp and Paper, textile etc.) during the Kumbh Mela. In compliance to the order of Hon'ble NGT dated 29/11/2018 and directions of CPCB dated 16/11/2018 with the view to maintain the water quality of River Ganga fit for bathing purpose during the forthcoming Kumbh Mela at Prayagraj the U.P. State Government had formulated an Action Plan for maintaining water quality of River Ganga during Kumbh 2019 . The Action plan largely includes directions to Grossly Polluting Industries for maximum reuse and recycle of treated water for irrigation etc. so as to ensure Zero discharge into River Ganga and its tributaries.

Directions were issued to all grossly polluting industries to ensure zero discharge in any river and treated effluent should be reused or should be used in irrigation. Units were also directed to install a web camera which should be linked with CPCB at the final outlet of the industry.

During the Kumbh Mela 2019 period M/s Dev Priya products Pvt. Ltd. and M/s Dev Priya Papers Pvt. Ltd were also instructed to restrict the treated effluent discharge in adjacent river Kali East.

M/s Dev Priya Papers Pvt. Ltd. restricted the discharge of treated effluent in river Kali East and used for irrigation /storage on its own land.

M/s Dev Priya Products Pvt. Ltd. used the land of M/s Holy Commercial Pvt Ltd for irrigation and storage of treated effluent (sister concern of M/s Dev Priya products Pvt. Ltd.). M/s Holy Commercial Pvt Ltd is not a production unit, and is involve in forming of fruits and grains only. This arrangement was made for the duration of Kumbh Mela. Unit had stopped the storage of treated effluent after completion of Kumbh Mela.

As per the complainant Sri Pankaj Sharma during the Kumbh Mela 2019 period while the effluent was being stored at M/s Holy Commercial Pvt Ltd it was discharged into fields of complainant which caused damage of crop and fruit plants. At the time of

AEE

Scanned by CamScanner

inspection dated 18.09.2019 by UPPCB Meerut no damage of plants or crop was observed. The land of M/s Holy Commercial Pvt Ltd is fenced by a boundary wall and adjacent to fields of Sri Pankaj Sharma. There is a possibility of leakage through boundary wall of M/s Holy Commercial Pvt Ltd to the fields of Shri Pankaj Sharma but at the time of inspections there were no any significant leakage or damage of crops and fruit plants observed.

As per complain dated 01.05.2019 of Sri Pankaj Sharma unit had started effluent discharge since dated 18.01.2019 respectively dated 19.01.2019 and 22.01.2019 till month of March 2019. The possibility of the leakage of treated effluent through boundary wall towards the field of complainant may be there on the aforesaid dates.

On the basis of complain and inspection UPPCB Meerut sent a report to H.O. for imposing environmental compensation for the period 18.01.2019 to 22.01.2019,UPPCB Lucknow has imposed a EC of Rs.150000/- (One Lakh Fifty thousand) by its order dated 30/09/2019 and has directed to unit to pay EC with in 15 days.

5/10/19

(RK.Singh)
AEE

Countersigned

Regional Officer

05.10.19

Scanned by CamScanner

4/4/2023

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 4/4/2023 / सी–3 / जल–30 / मेरठ / 2019 दिनांक 30/9/19

सेवा में, पंजीकृत

मै0 देवप्रिया प्रोडक्ट प्रा0लि0,
ग्राम–सैनी, मवाना रोड,
मेरठ।

विषयः– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या 681 / 2019(आई0ए0 नं0–485 / 2019) पंकज शर्मा बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनॉक 30.08.2019 के अनुक्रम में उद्योग का निरीक्षण दिनॉक 18.09.2019 को किया गया। प्राप्त आख्या के अनुसार उद्योग की सहइकाई मै0 होली कामर्शियल प्रा0लि0 की भूमि पर कुम्भ मेला के दौरान उद्योग द्वारा शुद्विकृत उत्प्रवाह का भण्डारण किया गया। कुंभ मेला समाप्ति के उपरान्त उद्योग द्वारा शुद्वीकृत उत्प्रवाह का भंण्डारण बंद कर दिया गया था। निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता द्वारा यह अवगत कराया गया कि उक्त अस्थायी भण्डारण / निस्तारण की अवधि में उद्योग जो अपनी सह इकाई मै0 होली कामर्शियल प्रा0लि0 की भूमि पर अस्थायी भण्डारण किया गया था, से लीचेट होने के कारण शिकायतकर्ता की सन्निकट स्थित भूमि पर उत्प्रवाह निस्तारण हो गया जिससे उनकी फसल तथा फलों के बाग सूख गये। उद्योग द्वारा उत्प्रवाह निस्तारित किये जाने के फलस्वरूप उनके द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में शिकायत की गयी है जिसके संबंध में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा राज्य बोर्ड को आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेश निर्गत किये गये है। निरीक्षण के समय मै0 होली कामर्शियल प्रा0लि0 की भूमि पर किसी प्रकार का कोई उत्प्रवाह भंण्डारित अथवा निस्तारित किया जाता नहीं पाया गया तथा शिकायतकर्ता के खेत के सर्वेक्षणों के समय कोई भी फलदार वृक्ष (अमरूद) सूखा हुआ नहीं पाया गया। मै0 होली कामर्शियल प्रा0लि0 द्वारा किसी भी प्रकार का औद्योगिक उत्पादन नही किया जाता है। उद्योग की एक सह इकाई है जिसकी भूमि पर खेती / बागवानी का कार्य किया जाता है। शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 18.01.2019, 19.01.2019 तथा दिनाक 22.01.2019 एवं मार्च 2019 तक उद्योग द्वारा लीचेट बहाये जाने के कारण उनके खेत में रिसाव होने तथा फसलों के सूखने की शिकायत की गयी है। कुम्भ मेला की अवधि दिनॉक 04.03.2019 को समाप्त हो गयी जिसके उपरान्त संदर्भित उद्योग द्वारा किसी भी प्रकार का उत्प्रवाह भण्डारण / निस्तारण सह इकाई में नहीं किया गया है, जिससे शिकायतकर्ता की शिकायत की पुष्टि होती है। उद्योग द्वारा बोर्ड से निर्गत सहमति जल की शर्तों एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 स0–200 / 2014 एम0सी0मेहता बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 13.07.2017 का उल्लंघन किया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 स0–200 / 2014 एम0सी0मेहता बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 13.07.2017 के अनुक्रम में सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त सी0पी0सी0बी0 द्वारा की गयी मैथाडोलॉजी के अनुसार दिनॉक 18.01.2019 से दिनॉक 22.01.2019 के मध्य अर्थात् कुल 05 दिनों का उल्लंघन मानते हुए उद्योग मै0 देवप्रिया प्रोडक्ट प्रा0लि0, ग्राम–सैनी, मवाना रोड, मेरठ के विरूद्व रू0–30,000 / – प्रतिदिन की दर से कुल रू0 1,50,000 / – की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड- UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें।

उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारित समयावधि में जमा करने का साक्ष्य इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करें।

भवदीय,

(एन0के0 चौहान)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)

प्रतिलिपि–क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)

Scanned by CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय
दूरभाष : 0121 2577676
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पॉकेट–TC–3/2, पल्लवपुरम फेज–II, मोदीपुरम, मेरठ–250110

पत्रांक– 1476/MG7–681/2019 दिनांक– 20/9/19

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–3),
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ ।

विशय– मा0एनजीटी नई दिल्ली में योजित ओ0ए0संख्या–681/2019 (आईए नं0485/2019) पंकज शर्मा बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एण्ड अदर्स में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में संदर्भित उद्योगों की निरीक्षण आख्या ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में संदर्भित उद्योगों का निरीक्षण कार्यालय द्वारा दिनांक–18/9/19 को किया गया । निरीक्षण आख्या मूलरूप में संलग्न है । निरीक्षण आख्या के अनुसार वर्तमान में शिकायतकर्ता श्री पंकज शर्मा की फसल पर उद्योगों द्वारा उत्प्रवाह निस्तारण तथा ठोस अपशिष्ट निस्तारण के कारण कोई नुकसान परिलक्षित नहीं है परंतु कुंभ मेला 2019 की अवधि के दौरान दिनांक–18/1/19 से 22/1/19 तक की अवधि में उद्योग द्वारा उत्प्रवाह निस्तारण से हुये फसली नुकसान के परिप्रेक्ष्य में उद्योग मै0देवप्रिया प्रोडक्ट प्रा0लि0, सैनी मवाना रोड, मेरठ पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है ।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(आर0के0त्यागी)
क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned by CamScanner

मा0एनजीटी नई दिल्ली में योजित ओ0ए0संख्या–681/2019 (आईए नं0485/2019) पंकज शर्मा बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एण्ड अदर्स में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में संदर्भित उद्योगों की निरीक्षण आख्या ।

आदेश कृपया ओ0ए0संख्या–681/2019 (आईए नं0485/2019) पंकज शर्मा बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एण्ड अदर्स में पारित दिनांक–30/8/2019 जिसके मुख्यांश निम्नवत हैं–

" Let the State Pollution Control Board (SPCB) look into the matter, take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report in the matter within one month by email at judicial-ngt@gov.in."

मा0एनजीटी के आदेशों के अनुपालन में आदेश में उल्लिखित निम्नलिखित उद्योगों का निरीक्षण दिनांक–18/9/19 को अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा किया गया ।

1.मै0देवप्रिया प्रोडक्ट प्रा0लि0, सैनी मवाना रोड, मेरठ ।

2.मै0देवप्रिया इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0, यूनिट–1तथा 2, सैनी मवाना रोड, मेरठ ।

3.मै0देवप्रिया पेपर्स प्रा0लि0, सैनी मवाना रोड, मेरठ ।

कुंभ मेला वर्ष 2019 की अवधि के दौरान काली नदी पूर्वी में उत्प्रवाह निस्तारित न किये जाने हेतु उद्योगों को निर्देश दिये गये थे । मै0देवप्रिया इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0, यूनिट–1तथा 2, सैनी मवाना रोड, मेरठ शून्य उत्प्रवाह निस्तारण आधारित उद्योग हैं ।

मै0देवप्रिया पेपर्स प्रा0लि0, सैनी मवाना रोड, मेरठ द्वारा कुंभ मेला 2019 के दौरान शून्य उत्प्रवाह निस्तारण की स्थिति बनाये रखने हेतु काली नदी पूर्वी में किसी भी प्रकार का उत्प्रवाह निस्तारित न किये जाने की दशा में शुद्वीकृत उत्प्रवाह को स्वयं की भूमि पर भंडारित किया गया तथा सिंचाई के कार्यों में प्रयोग किया गया ।

मै0देवप्रिया प्रोडक्ट प्रा0लि0, सैनी मवाना रोड, मेरठ द्वारा उद्योग की सहइकाई मै0होली कामर्शियल प्रा0लि0 की भूमि पर शुद्वीकृत उत्प्रवाह का भंडारण किया गया ।

कुंभ मेला समाप्ति के उपरांत उद्योगों द्वारा शुद्वीकृत उत्प्रवाह का भंडारण बंद कर दिया गया था । शिकायतकर्ता श्री पंकज शर्मा द्वारा यह अवगत कराया गया कि उक्त अस्थायी भंडारण/निस्तारण की अवधि में मै0देवप्रिया प्रोडक्ट प्रा0लि0 जो अपनी सहइकाई मै0होली कामर्शियल प्रा0लि0 की भूमि पर अस्थायी भंडारण किया गया था से लीचेट होने के कारण शिकायतकर्ता की सन्निकट स्थित भूमि पर उत्प्रवाह निस्तारित हो गया जिससे उनकी फसल सूख गयी तथा फलों के बाग सूख गये । मै0देवप्रिया प्रोडक्ट प्रा0लि0 द्वारा उत्प्रवाह निस्तारित किये जाने के फलस्वरूप उनके द्वारा मा0एनजीटी में शिकायत की गयी है जिसके संबंध में मा0एनजीटी द्वारा उपरोक्त आदेश निर्गत किये गये हैं । निरीक्षण के समय मै0होली कामर्शियल प्रा0लि0 की भूमि पर किसी प्रकार का कोई उत्प्रवाह भंडारित अथवा निस्तारित किया जाता नहीं पाया गया तथा शिकायतकर्ता के खेत के सर्वेक्षणों के समय कोई भी फलदार वृक्ष(अमरूद) सूखा हुआ नहीं पाया गया ।

मै0होली कामर्शियल प्रा0लि0 द्वारा किसी भी प्रकार का औद्योगिक उत्पादन नहीं किया जाता है । इकाई मै0देवप्रिया प्रोडक्ट्स प्रा0लि0 की एक सहइकाई है जिसकी भूमि पर खेती/बागवानी का कार्य किया जाता है ।

श्री पंकज शर्मा द्वारा दिनांक–18/1/2019, 19/01/19 तथा दिनांक–22/01/19 एवं मार्च 2019तक मै0देवप्रिया प्रेाडक्ट्स प्रा0लि0 द्वारा लीचेट बहाये जाने के कारण उनके खेत में रिसाव होने तथा फसलों के सूखने की शिकायत की गयी है । कुंभ मेला की अवधि दिनांक–04/03/19 को समाप्त हो गयी जिसके उपरांत संबंधित उद्योग द्वारा किसी भी प्रकार का उत्प्रवाह भंडारण/निस्तारण सहइकाई में नहीं किया गया है । अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उद्योग मै0देवप्रिया प्रोडक्ट्स प्रा0लि0, सैनी , मवाना रोड, मेरठ के विरूद्व दिनांक–18/1/2019 से दिनांक–22/01/19 की अवधि तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के फार्मूले के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है ।

20-9-19 20/9/19
(एन0के0पाण्डेय) (आर0के0सिंह)
अवर अभियंता सहा0पर्या0अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी
20.09.19

Scanned by CamScanner